प्रेस विज्ञप्ति

06.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के मामले में 51.57 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की एक विस्तृत वित्तीय जांच के उपरांत की गई है, जिसमें यह तथ्य उजागर हुआ कि किफायती आवास परियोजनाओं में अपनी बचत निवेश करने वाले गृह-खरीदारों के बड़ी संख्या से एकत्रित धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग किया गया। उक्त धन का उपयोग वादा की गई इकाइयों के निर्माण एवं सुपुर्दगी में किए जाने की बजाय परियोजनाएँ अपूर्ण छोड़ दी गईं, आवंटन मनमाने ढंग से रद्द किए गए तथा गृह-खरीदारों को दीर्घकालीन अनिश्चितता और वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा, जबकि परियोजना विकास हेतु सौंपी गई धनराशि को आवास परियोजनाओं से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए विपथित (डायवर्ट) किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में 49.79 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें एक विला, एक होटल एवं रिसॉर्ट, कार्यालय स्थल तथा गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थित अनेक भू-खण्ड सम्मिलित हैं। 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों में जब्त नकद राशि तथा स्वराज सिंह यादव, मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध बैंक शेषराशि शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस तथा हरियाणा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी एवं आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज की गई अनेक प्राथमिकियों के आधार पर जांच प्रारंभ की। ये मामले मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) द्वारा आरंभ की गई किफायती आवास परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिनमें समयबद्ध निर्माण एवं विधिसम्मत सुपुर्दगी का आश्वासन देकर गृह-खरीदारों एवं निवेशकों से भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की गई। धनराशि प्राप्त होने के बावजूद परियोजनाएँ अपूर्ण रहीं, कब्जा नहीं दिया गया तथा आवंटन मनमाने ढंग से रद्द करके एवं पुनः आवंटन के माध्यम से वास्तविक आवंटिती को अवैध रूप से उनकी इकाइयों से वंचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप खरीदारों को गंभीर वित्तीय हानि एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह स्थापित हुआ है कि ओएसबीपीएल के प्रवर्तक एवं प्रमुख निर्णयकर्ता स्वराज सिंह यादव ने संपूर्ण योजना को संचालित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। निर्माण हेतु गृह-खरीदारों से एकत्रित धनराशि को निर्धारित परियोजनाओं में उपयोग किए जाने के स्थान पर जानबूझकर विपथित (डायवर्ट) किया गया। उनके निर्देशों के तहत परियोजना-विशिष्ट निलंब (एस्क्रो) खातों की धनराशि को मुक्त खातों तथा संबंधित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया, वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को दरकिनार किया गया, तथा एक ही आवासीय इकाइयों को बार-बार अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर पुनः बेचा गया, जिससे भारी मात्रा में अवैध आय अर्जित की गई। पार्किंग स्थलों तथा निरस्त की गई इकाइयों का अनुमेय सीमा से कहीं अधिक दरों पर नकद में बेचा गया किया गया तथा अवैध निरस्तीकरणों को झूठे तौर पर उचित ठहराने के लिए जाली एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया। विपथित (डायवर्ट) धनराशि को आगे स्तरीकृत (लेयरिंग) किया गया और व्यक्तिगत खर्चों, संपत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य उपक्रमों में उपयोग किया गया, जिससे गृह-खरीदारों द्वारा किए गए विश्वास का सुनियोजित दुरुपयोग परिलक्षित होता है।

आगे की जांच प्रगति पर है।